कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

सन्दर्भ संख्या : R/345
दिनांक : 27.3.19

कार्यालय–आदेश

दिनांक 28.01.2019 को लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित महमूदाबाद छात्रावास के कुछ कमरों में बाहरी अराजक तत्वों के रूकने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त कुलानुशासक, कुलानुशासक मण्डल एवं विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्डों एवं पुलिस बल के सहयोग से लगभग अपरान्ह 12:00 बजे महमूदाबाद छात्रावास का औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान कक्ष संख्या 35 में श्री हरिओम सिंह, छात्र बी० ए० तृतीय वर्ष 2018–19 पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट– राममंडई, तहसील– फतेहपुर, जिला– बाराबंकी (उ० प्र०) पिन कोड–225303 अनाधिकृत रूप से रहते हुए पाये गये। श्री हरिओम सिंह को अनाधिकृत रूप से ताला तोड़कर छात्रावास में रहने के आरोप में स्थानीय पुलिस प्रशासन के सुपुर्द कर दिया गया, तथा इस सम्बन्ध में स्थानीय कोतवाली हसनगंज लखनऊ में प्राथमिकी भी दर्ज करवायी गयी।

दिनांक 18.09.2018 को केन्द्रीय मेस में अव्यवस्था फैलाने के आरोप में श्री हरिओम सिंह को विश्वविद्यालय के छात्रत्व से निलम्बित कर छात्रोचित समस्त् सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था, परन्तु श्री हरिओम सिंह के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें आदर्श पाक्वृत्त का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश के अनुपालन में श्री हरिओम सिंह पुत्र श्री रामकिशोर सिंह ने दिनांक 09.01.2019 को कुलानुशासक कार्यालय में रू० 100/- के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत शपथ–पत्र में यह शपथ–पत्र प्रस्तुत किया था कि शपथी विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान कोई ऐसा आचरण नहीं करेगा जो छात्र मर्यादाओं के प्रतिकूल हो, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त श्री हरीओम के आवेदन के दृष्टिगत कुलानुशासक के पत्र संख्या 88 दिनांक 12.01.2019 द्वारा सत्र 2018–19 की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गयी थी।दिनांक 28.01.2019 को महमूदाबाद छात्रावास के विभिन्न कक्षों में अनाधिकृत रूप से रह रहे अराजक तत्वों/छात्रों के कमरों में मिला सामान एकत्र कर बीरबल साहनी छात्रावास के कक्ष संख्या 39 में रखवाकर यह कमरा सील कर दिया था। उसके उपरान्त दिनांक 28/29.01.2019 की रात्रि कुछ अराजक तत्व बीरबल साहनी छात्रावास में गये और वहां ड्यूटी पर उपस्थित चौकीदार को मारपीट कर कक्ष संख्या 39 में बन्द विश्वविद्यालय का ताला अवैध रूप से तोड़ उस कक्ष में रखा समस्त् सामान उठा ले गये।

उपरोक्त वर्णित हिसंक एवं अपराधिक प्रवृत्ति के कारण कुलानुशासक मण्डल द्वारा की गई अनुशंसा पर श्री हरिओम सिंह, छात्र बी०ए० तृतीय वर्ष 2018–19 पुत्र श्री रामकिशोर सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट– राममंडई, तहसील– फतेहपुर, जिला– बाराबंकी (उ० प्र०) पिन कोड–225303 को तात्कालिक प्रभाव से लखनऊ विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिये जाने तथा भविष्य में इन्हें विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सहयुक्त अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाने की संस्तुति की गई। कुलानुशासक मण्डल द्वारा की गयी उक्त अनुशंसा पर कुलानुशासक एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा सहमति व्यक्त किये जाने के दृष्टिगत मा० कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 08.02.2019 के अनुपालन में छात्र श्री हरिओम सिंह, छात्र बी०ए० तृतीय वर्ष 2018–19 पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट– राममंडई, तहसील– फतेहपुर, जिला– बाराबंकी (उ० प्र०) पिन कोड–225303 को तात्कालिक प्रभाव से लखनऊ विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाता है एवं भविष्य में इन्हें विश्वविद्यालय एवं इससे सहयुक्त अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश न दिये जाने के आदेश निर्गत किया जाता है।

(एस० के० शुक्ल)
कुलसचिव

संख्या R/346-61 दिनांक 27.3.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव प्रतिकुलपति, मा0 प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. समस्त् संकायाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय।
4. समस्त् प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त, लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. निदेशक विधिक प्रकोष्ठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुलानुशासक , लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. मुख्य अभिरक्षिका/समस्त् प्रवोस्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. ओ0एस0डी0, आई0 एम0एस0, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. समस्त् उपकुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
12. इंचार्ज वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
13. श्री हरिओम सिंह, छात्र बी0 ए0 तृतीय वर्ष 2018—19 पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट— राममंडई, तहसील— फतेहपुर, जिला— बाराबंकी (उ0 प्र0) पिन कोड—225303.
14. निजी सचिव,कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
15. इंचार्ज वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं समस्त् प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त, लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ ई—मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर)

उपकुलसचिव

शोध प्राप्त प्रमाणित
कुलानुशासक कार्यालय
28/3/19